न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 33 / 2025 / जैसलमेर

अपीलांट	**बनाम**	**रेस्पोडेंटगण**
मैसर्स मृदुल मंगल एसेट्स एलएलपी जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता राहुल सिंह पुत्र सोहनसिंह पंजीकृत कार्यालय 38 ग्राउण्ड फलोर, जी ब्लॉक, साउथ सिटी 2, सेक्टर 50 गुड़गांव हरियाणा।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फतेहगढ़ जिला जैसलमेर। 2. क्षेत्रीय वन अधिकारी डाबला तहसील फतेहगढ़, जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, फतेहगढ द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 103 / 2024 बउनवान लाखाराम बनाम तहसीलदार फतेहगढ़ में पारित आदेश दिनांक 07.01.2025 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थितः—

1. वकील श्री पवन सिंघल अपीलान्ट की ओर से।
2. राजकीय अभिभाषक श्री हरीराम चौधरी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

—:निर्णयः—

दिनांकः—18.07.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा सांगड़ के खसरा संख्या 216 / 763 रकबा 12.1350 हैक्टेयर आई हुई है उस भूमि में आने—जाने के लिए चलायमान रासता खसरा संख्या 50, 240, 239, 215, 216 में से पूर्व खातेदार लाखाराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में यह कथन करते हुए आवेदन पेश कर निवेदन किया गया कि मेरे खातेदारी के खेत खसरा सख्या 216 / 763 में आने जाने के लिए सरकारी भूमि के खसरा संख्या 50, 240, 239, 215, 216 में से होकर गुजर रहे हैं। मौके पर उक्त रास्ते की भूमि का प्रार्थी ही उपभोग—उप्रयोग करत आ रहा है। प्रार्थी के खेत में आवागमन के लिए यह एकमात्र रास्ता है। जिसमें से होकर प्रार्थी लाखाराम अपनी खातेदारी भूमि में आ जा रहे हैं। उक्त आवेदन के बाद दर्ज

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

हस्तगत आराजी के संबंध में मौका रिपोर्ट तलब की गई। संबंधित पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 27.11.2024 में प्रस्तावित उक्तानुसार सरकारी भूमि के खसरा संख्या 50, 240, 239, 215, 216 पर चलायमान रास्ते की रिपोर्ट मुर्तिब नहीं की और खसरा संख्या 50, 240, 239, 215, 216 के सेढे पर जो राजकीय भूमि में उत्तरदाता संख्या 02 द्वारा वृक्षारोपण किया हुआ उस भूमि पर रास्ता प्रस्तावित कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौजा सांगड़ के खसरा संख्या 216/763 रकबा 12.1350 हैक्टेयर आई हुई है उस भूमि में आने–जाने के लिए चलायमान रासता खसरा संख्या 50, 240, 239, 215, 216 में से पूर्व खातेदार लाखाराम के आवेदन अनुसार प्रस्तावित रास्ते का आदेश न करते हुए अन्य स्थान से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिस भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा राजकीय भूमि में वृक्षारोपण किया हुआ है। प्रस्वावित रास्ते को चलायमान करने हेतु अनेकों वृक्षों का काटना आवश्यक होगा। जंबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता चलायमान/प्रचलित रास्ता था। उक्त कथनों एवं मौका रिपोर्ट से परे जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया हस्तगत प्रकरण में पुनः वर्तमान मौका अनुसार रिपोर्ट तलब कर वास्तविक स्थिति में चलायमान/प्रचलित रास्ते का आदेश पारित करने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय समक्ष रिमाण्ड करना न्यायसंगत होगा।

वकील अपीलांट ने धारा 96 अपील अनुमति के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी सदभावी क्रेता खातेदार है। रेस्पोडेंटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश वाद में अपीलांटस को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। इस कारण अपीलार्थीगण उक्त आलोच्य निर्णय से व्यथित पक्षकार है तथा अपील प्रस्तुत करने अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटस/प्रार्थी अपीलाधीन

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निर्णय से प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है। इसलिये अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति दी जानी न्यायोचित है। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने धारा 96 अपील अनुमति के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का वर्तमान खातेदार हैं अगर अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है तो रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 96 सी.पी.सी. अपील अनुमति पर सुना गया। पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी का सदभावी क्रेता खातेदार है। अपीलांटस/प्रार्थी अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित एवं पीड़ीत पक्षकार है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपीलांटस वादग्रस्त आराजी का हितबद्ध, प्रभावित एवं पिड़ित पक्षकार ठहरता है। अतः अपीलांट का आवेदन अंतर्गत धारा 96 सी पी सी स्वीकार योग्य है।

लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुति की अनुमति दी जाती है।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलांट हस्तगत प्रकरण वादग्रस्त आराजी का खरीददार है। जिससे राजस्व रिकॉर्ड की नकल ली तब अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई, जानकारी होते ही अपील श्रीमान जी के समक्ष पेश कर दी। बाद जानकारी यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का वर्तमान खातेदार हैं अगर अपीलांट को अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है तो रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में मौका रिपोर्ट में भी स्पष्ट अंकन है कि "वन विभाग द्वारा पूर्व में वृक्षारोपण किये गये क्षेत्र में से होकर गुजरता है जो मौके पर घने वृक्षों में है जिसको चालु करने में बहुत अधिक संख्या में वृक्षों को काटना पड़ेगा इसलिए इस रास्ते को संशोधन कर पास में वर्तमान में चलायमान रास्ते को ही रेकर्ड में दर्ज कर खातेदारों को रास्ता सुलभ कराये एवं तरमीम में संशोधन करें।" मौका रिपोर्ट के उक्त कथनों को नजरअंदाज करते हुए प्रस्तावित रास्ते की जगह अन्य जगह पर मार्ग का आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है लेकिन रास्ते के लिए अन्य पक्षकार के जीवन में दुविधा पैदा करना भी विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ़ द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 103/2024 बउनवान लाखाराम बनाम तहसीलदार, फतेहगढ़ में पारित आदेश दिनांक 07.01.2025 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि यथासंभव बाबत् कटाण/चलायमान रास्ते संबंधित वर्तमान मौका रिपोर्ट तल्ब कर वास्तविक मौके अनुसार ही विधि सम्मत आदेश पारित करे तथा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर गुणावगुण पर आदेश पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

18/7/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 18.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/7/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर